

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक : एफ 15(8)2023/गोप्र/प्रमुखसं-05405/ दिनांक :

**--: कार्यालय आदेश ::--**

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध मंत्रालयिक संवर्ग एवं निजी सचिव संवर्ग के चयनित कार्मिकों के निम्नानुसार पदोन्नति आदेश प्रसारित किये गये हैं :-

| क्र.सं. | आदेश क्रमांक एवं दिनांक | विवरण                                                 |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.      | 6379/सी 06.07.2023      | प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी                 |
| 2.      | 6386/सी 06.07.2023      | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी       |
| 3.      | 6498/सी 07.07.2023      | सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी |
| 4.      | 6632/सी 13.07.2023      | वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी               |
| 5.      | 6803/सी 21.07.2023      | कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक                          |
| 6.      | 6914/सी 21.07.2023      | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक                |
| 7.      | 7036/सी 27.07.2023      | अतिरिक्त निजी सचिव से निजी सचिव                       |

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसकी उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु वह तीन पश्चात्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष पदोन्नत लोकसेवक का उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त कर इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मुनीश कुमार गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(8)2023/गोप्र/प्रमुखसं-05405/8393-8404/क दिनांक : 03.10.2023  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त वनाधिकारीगण।

2. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)  
राजस्थान, जयपुर

**Signature valid**

Digitally signed by Munish Kumar Garg  
Designation : Principal Chief  
Conservator Of Forest  
Date: 2023.09.27 19:44:36 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4788590

